न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

कल्लू वल्द पजना रैकवार , आयु 55 साल

निवासी ग्राम उत्तमपुरा हाल अनंतपुरा,

तहसील वल्देवगढ, जिला टीकमगड म0प्र0 .....आवेदक

वनाम

1— म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़

2— देवेन्द्र कुमार पोतदार, साकिन सिविल लाईस टीकमगढ़ म0प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 10अ/6/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 29/04/2008 से परिवेदित होकर, उसके आधार पर कंप्यूटर रिकॉर्ड में रकवा सुधार कराने का निर्देश जारी करने तथा आदेश के पालन में अनावेदक 02 के नाम दर्ज अतिशेष भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने बावद आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत कर रहा है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक एवं चन्नू नामक ब्यक्ति को ग्राम उत्तमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 68 जु0 में से बर्ष 1973—74 में रकवा3.214 हैक्टर का पटटा प्रदान किया गया था जिसमें कल्लू बतनय पजना को 2/3 तथा चन्नू तनय चउदे को 1/3 भूमि प्रदान की गई थी। आवेदक का नाम उपरोक्त भूमि पर शामिल रूप में 1974 से 2009—10 तक बर्ष 2011 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा। आवेदक के सह खातेदार द्वारा अपने हिस्सा की भूमि स्वामी सत्यानंद बाल योगी को जरिये बैनामा के बिकय कर दी गइ थी। आवेदक का नाम उसके नाम की भूमि पर से बिना सक्षम अधकार के आदेश के खसरा के रोस्टर के दौरान काट दिया गया था। जिसकी आपत्ति अन्रू लोगों के द्वारा द्वारा उपरोक्त प्रकरण के प्रचलन के दोरान भी की थी।

. XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-617-11/16 जिला Shivpuri

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क010अ/6/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 29/04/2008 से दुखी होकर पेश की है। निगरानी के साथ ग्राम उत्तमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 68 जु0 रकवा 11.343 हैक्टर की खसरा पांचसाल की प्रमाणित प्रतियां 1972—73 से लगातार बर्ष 2010—11 तक तथा बर्तमान खसरा की प्रामणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत कीं है। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 27/निगरानी/2005—06 में पारित आदेश दिनाक 25/09/2006 की भी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जिनके आधार पर निगरानी का अंतिम निराकरण किया जा रहा है। 2— आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण करने के उपरांत निगरानी सुनवाई हेतु ग्राहय की जाती है, बिलंब माफ किया जाता है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिनसे यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदक को ग्राम उत्तमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 68जु0 रकवा 11.343 हैक्टर में से बर्ष 1973—74 में 3.214 हैक्टर भूमि का पटटा प्रदान किया गया था। जिसमें आवेदक कल्लू तनय पजना को 2/3 हिस्सा, तथा चन्नू ढीमर को 1/3 हिस्सा पर अस्थाई पटटा प्रदान किया गया था। जो लगातार बर्ष 1984—85 तक उनके नाम से उपरोक्तानुसार दर्ज रही, बर्ष 1984—85 में आवेदकगण को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान कर दिया गये। आवेदकगण के नाम लगातार 1995—96 तक भूमि स्वामी दर्ज है। बर्ष 1995 के खसरा में नामांतरण पंजी कमांक 18 आ0 दिनांक 27/01/1996 के द्वारा चन्नू के नाम की भूमि केता बाल योगी सत्यानंद के नाम पर दर्ज हो गई। आवेदक का नाम यथावत दर्ज रहा आया, जो लगातार 2009/10 तक दर्ज रहा। बर्ष 2009—10 में उपरोक्त भूमि तहसीलदार के उपरोत आदेश 29/04/2008 के पालन में पूरी की पूरी रिस्पॉडेंट कमांक 02 के नाम पर दर्ज हो गई। बर्तमान खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि से भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 68/8 रकवा 3.214 हैक्टर पर रिस्पॉडेंट कमांक दो का नाम दर्ज है, जिसमें कैफियत के कॉलम में लेख है कि आदेश दिनांक 29/04/2008 के अनुसार नाम दर्ज।	

3— मैंने आदेश दिनांक 29/04/2008 का तथा कलेक्टर के आदेश दिनांक 25/09/2006 का भी अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में अनावेदक कमांक 02 के नामे पर वाद भूमि का 1.214 हैक्टर रकवा दर्ज करने का आदेश ही पारित किया है। कंप्यूटर में किस प्रकार से पूरा का पूरा रकवा रिस्पॉडेंट कमांक दो के नाम दर्ज हो गया स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त प्रविष्टि आदेश दिनांक 29/04/2008 के पालन में दर्ज की गई है। कलेक्टर के आदेश दिनांक 25/09/2006 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें कलेक्टर द्वारा एक माह में तहसीलदार को नामांतरण प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश मात्र दिया है, जिसके आधार पर निराकरण किया गया है।

4— मैंने खसरा में दर्ज हिस्सा 3.214 के 1/3 हिस्सा का रकवा निकाला तो वह 1.071 हैक्टर आता है, जो चन्नाा के नाम पर था। जबकि तहसीलदार द्वारा चन्ना के द्वारा बिकीत भूमि के आधार पर 1.214 हैक्टर का नामांतरण करने का आदेश पारित किया है। जिससे मैं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/04/2008 में आंशित संशोधन करता हूँ, कि चन्नू के बिक्रय पत्र के आधार पर नामांतरित भूमि में चन्नू के हिस्सा की भूमि 1.071 हैक्टर भूमि अनावेदक कमांक 02 के नाम दर्ज की जावे।

3— जहां तक आवेदक के वाद भूमि के 2/3 हिस्सा 2.142 हैक्टर पर बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के आवेदक का नाम विलोपित किया गया है, वह विधि विरूद्व है। जिससे मैं तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित करता हूं कि ग्राम उत्तमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 68/8 रकवा 3.214 हैक्टर के 2/3 हिस्सा, रकवा 2.142 हैक्टर पर पूर्ववत बर्ष 2008—09 की स्थिति में आवेदक का नाम दर्ज किया जाबे।

4— आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि रिस्पॅडेंट के नाम स्वामी स्त्यानंद की जो भूमि वारिसान हक में दर्ज हुई है, उसके संबंध में बसीयतनामा के आधार पर अनंतपुरा हनुमान जी मंदिर का नामांतरण का विवाद अन्य न्यायालयों में है। जिसके संबंध में मैं यह निर्देश भी देता हूं कि जो भूमि तहसीलदार के आदेश दिनांक 29/04/2008 में आंशिक संशोधन के पालन में अनावेदक के नाम पर दर्ज की जाबेगी, उसका भविष्य में निराकरण सक्षम अपीलीय न्यायालयों द्वारा बसीयत के आधार पर पारित आदेशों के पालन में किया जाबे। इस आदेश का प्रभाव उन आदेशों पर नहीं होगा। यह आदेश का प्रभाव मात्र आवेदक द्वारा धारित वादभूमि पर ही लागू होगा। उपरोक्तानुसार निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण का परिणम दर्ज कर प्रकरण डा0 द0 हो।

सदस्य